मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2010 (श्रावण 5, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 134 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य ने प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का निराकरण न किये जाने,
(2) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य ने प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा काउंसिलिंग में गलत प्रक्रिया अपनाने,
(3) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने अमरकंटक के स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था किये जाने,
(4) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य ने रतलाम राजवंश की इन्दौर स्थित सम्पत्ति को शासन द्वारा अधिग्रहित करने,
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर शहर को धार्मिक नगरी घोषित किये जाने,
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इन्दौर शहर में सी.एन.जी. गाड़ियों में गैस भरने वाले पंप कम होने,
(7) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य ने राजगढ़ के खुजनेर नगर के कई वार्डों में सड़कों की जर्जर हालत होने,
(8) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने भोपाल के नरेला क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढे होने तथा सीवर लाईने न होने तथा
(9) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य ने श्योपुर के टेकना-मानपुर-रामेश्वर मार्ग के जर्जर होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का पंचम् वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

4. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(1) डॉ. निशिथ पटेल एवं श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्यगण ने उमरिया जिले के ग्राम कुचवाही स्थित आदिवासी की भूमि की अवैध बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री राधेलाल बघेल, मनीराम धाकड़, परसराम मुद्गल, सदस्यगण ने रीवा जिले के अतरैला थानान्तर्गत डीजल/पेट्रोल की अवैध दुकान में आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्रामों की नलजल योजनाएं अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने सागर जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पौध तैयार करने हेतु दी गई राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. लोक लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लोक लेखा समिति के रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2010 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2010 को अपराह्न 4.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-6 में होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 29 जुलाई, 2010 को अपराह्न 2.00 बजे तक दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने लोक लेखा समिति का 77 वां से 88 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले के -
- (क) तहसील रामपुर बघेलान में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने,
- (ख) तहसील रामपुर बघेलान की जूनियर हाईस्कूलों को हाईस्कूलों में उन्नयन किये जाने,
- (ग) तहसील रामपुर बघेलान के ग्राम खाम्हा एवं ढ़ोढी के बीच टमस नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (घ) तहसील रामपुर बघेलान में कृषि उपज मंडी खोले जाने, तथा
- (ङ) भोपाल शहर के वार्ड नम्बर 58 समन्वय कालोनी में हैण्डपंप खनन किये जाने,

(2) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना जिले के -
- (क) विकासखण्ड रामनगर के न्यू मिरगौती से पुरानी मिरगौती तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) विकासखण्ड अमरपाटन के ग्राम-मुकुन्दपुर एवं रैकवार में पशु औषद्यालय खोले जाने,
- (ग) विकासखण्ड रामनगर के ग्राम-देवदहा व भरतपुर में ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,
- (घ) विकासखण्ड अमरपाटन में पार्क एवं बस स्टैण्ड निर्माण किये जाने, तथा
- (ङ) विकासखण्ड अमरपाटन की शासकीय हाईस्कूल करही को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के -
- (क) विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम गोघटपुर की हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ख) कन्या प्राथमिक विद्यालय सोमवरिया बल्डी खिलचीपुर को माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
- (ग) ग्राम पंचायत गागोरनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (घ) ग्राम पंचायत-गागोरनी की शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय को कन्या माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन किये जाने,
- (ङ) ग्राम-गांगोरनी हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(4) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -
- (क) विकासखण्ड सांईखेडा के ग्राम नांदनेर की हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विज्ञान संकाय खोले जाने, तथा
- (ख) विकासखण्ड चीचली की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने,

(5) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य की छतरपुर जिले के -
- (क) ग्राम पंचायत निवारी के ग्राम-हर्ररई तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) शहर के वार्ड नम्बर 30 स्थित खुले नाले को ढ़कवाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम पराचौकी से रसोईया भाटन तक सड़क बनाये जाने,
- (घ) ग्राम ढ़डारी की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ङ) ग्राम पंचायत वरामच खेरा की शासकीय माध्यमिक शाला के हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (च) ग्राम पंचायत निवारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (छ) शहर स्थित सातरी तलैया को बंद किये जाने के संबंध में,
- (ज) ग्राम पंचायत कोरतपुरा में शासकीय माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (झ) ग्राम पंचायत वंधीकला की शासकीय माध्यमिक स्कूल को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ञ) ग्राम पुंददी की शासकीय माध्यमिक विद्यालय को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ट) ग्राम पंचायत छापर की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ठ) ग्राम अतनियां की शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (ड) ग्राम तलवापुरवा में प्राईमरी स्कूल खोले जाने, तथा
- (ढ) ग्राम गडरियनपुरवा में प्रायमरी स्कूल खोले जाने,

(6) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के -

(क) विकासखण्ड राहतगंज के ग्राम खाकरोन में स्थित नदी के दोनों ओर घाट एवं पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) आनंदनगर ग्राम पंचायत रजाखेड़ी में नालियों का निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम पामाखेड़ी में नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने,

(घ) ग्राम पामाखेड़ी की शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(ङ) ग्राम पंचायत ढाना में विद्युत सब-स्टेशन एवं स्टाप डेम बनाये जाने,

(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के -

(क) ग्राम रिच्छा बच्चा के देवनारायण मंदिर में हैण्डपंप खनन एवं सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम रेवास देवड़ा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम रेवास देवड़ा में सार्वजनिक महिला शौचालय का निर्माण किये जाने, तथा

(घ) ग्राम लखमाखेड़ी से महादेव मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

(8) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम करेडी हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम भुमरिया की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम खोखेड़ा की माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(9) श्रीमती शशि ठाकुर (मरावी), सदस्य की सिवनी जिले के -

(क) विकासखण्ड घनसौर की माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) विकासखण्ड लखनादौन की हायर सेकेण्ड्री स्कूल धूम एवं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण किये जाने,

(10) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम नयाखेरा की जामुनी नदी पर उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण किये जाने, तथा

(ख) नगर पंचायत कारी से हीरा नगर तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(11) कुं. विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा, सदस्य की पन्ना जिले के नेशनल हाईवे खजुराहो, चित्रकूट, बनारस रोड पर चंदला से नेहरा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(12) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम जिले के जावरा शहर में स्थित ईदगाह दरवाजे से तालनाके तक सड़क निर्माण किये जाने,

(13) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के नईगढ़ी के वार्ड क्र.-11 में हैंडपंप खनन किये जाने,

(14) श्री गिरीश गौतम, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम पंचायत सलैया की शासकीय प्राथमिक शाला के पूर्व माध्यमिक शाला उन्नयन किये जाने,तथा

(ख) गंगैव विकासखण्ड की शासकीय प्राथमिक शाला अठभईयन टोला को पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने, तथा

(15) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) नगर के वार्ड क्रमांक 12 में स्थित 19 ब्लॉक, मोहन नगर में हैण्डपंप खनन एवं स्ट्रीट लाईट लगाई जाने, तथा

(ख) नगर के वार्ड क्रमांक 12 मोहन नगर बिरयाखेड़ी चौराहे पर हैण्डपंप खनन कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

8. संत मुनि श्री तरूण सागर के प्रवचन कार्यक्रम संबंधी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश में 1.00 बजे संत मुनि श्री तरूण सागर जी के प्रवचन का कार्यक्रम मानसरोवर सभागार में हो रहा है। अतः सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 1.00 बजे मानसरोवर सभागार में पहुंचकर संत जी के प्रवचनों का लाभ उठाने की कृपा करें, सबसे अनुरोध है।

(अपराह्न 12.52 बजे से 3.08 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

9. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने दिनांक 23 नवम्बर, 2009 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 118 (क्रमांक 2067) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

11. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि सदन की परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 77 तथा 79 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार तीन सौ सत्तर करोड़, तेरह लाख, छिहत्तर हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री शंकरलाल तिवारी
(3) श्री पारस दादा सकलेचा
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री रामलखन सिंह
(6) श्री लक्ष्मण तिवारी
(7) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा (चर्चा अपूर्ण

अपराह्न 5.00 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, 1932) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 जुलाई, 2010